भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1495

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

1495. श्री बालक नाथः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीएस) द्वारा किसानों को वितरित किए गए ऋण की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान सहित उक्त अवधि के दौरान देश भर के विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को कृषि ऋण पर लगाये गए ब्याज की दर का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि क्षेत्र के लिए अनुमानित ऋण प्रवाह के लिए सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा सूचित किए गए अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान किसानों को संवितरित कृषि-ऋणों का बैंक-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है और अग्रिमों पर ब्याज दर के संबंध में आरबीआई के दिनांक 03.03.2016 के मास्टर निदेश में निहित विनियामकीय दिशानिर्देशों के अध्यधीन इन ब्याज दरों का निर्धारण बैंकों द्वारा अपने संबंधित निदेशक मण्डल के अनुमोदन से किया जाता है। ऋणों पर ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है और यह उधारकर्ताओं के ऋण प्रोफाइल पर आधारित होगा। देश भर में विभिन्न बैंकों के द्वारा कृषि ऋणों पर प्रभारित ब्याज दर संबंधी बैंक-वार तथा राज्य-वार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

किसानों को 7% प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों को उनके अपने साधनों का उपयोग करने पर प्रतिवर्ष 2% ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के अंतर्गत वैसे किसानों को 3% की अतिरिक्त सहायता दी जाती है जो अपने अल्पावधि फसल ऋण का भुगतान समय पर करते हैं। इससे ऐसे किसानों के लिए ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% प्रतिवर्ष हो जाती है।

(ग): नाबार्डने निम्नानुसार सूचना दी है :

- क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए सकल बुआई क्षेत्र, सकल सिंचाई क्षेत्र, पहले की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों, ऋण उपलब्धता के क्षेत्रीय संवितरण पर विचार करते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- विगत छः वर्ष के दौरान कृषि के लिए ऋण उपलब्धता निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	संवितरित फसल ऋण	संवितरित मियादी ऋण	संवितरित कुल ऋण
2013-14	5,48,435	1,81,687	7,30,122
2014-15	6,35,412	2,09,916	8,45,328
2015-16	6,65,313	2,50,197	9,15,510
2016-17	6,89,457	3,76,298	10,65,756
2017-18	7,53,214	4,09,403	11,62,617
2018-19 (पी)	7,50,376	5,04,386	12,54,762

(पी)अनंतिम

- कृषि ऋण 11.4% के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018-19 में 12.55 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया है।
- कृषि खाते 8.9% के सीएजीआर पर बढ़कर वर्ष 2013-14 में 8.9% करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018-19 में 12.33 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गये हैं।
- निवेश ऋण का शेयर वर्ष 2013-14 में 25% की तुलना में बढ़कर वर्ष 2018-19 में 40% (अनंतिम) हो गया है जिसका पूंजी निर्माण में योगदान है।
- लघु एवं सीमांत किसानों के खातों का कवरेज वर्ष 2013-14 में 63% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 74% (अनंतिम) हो गया है।
- कृषि ऋण में लघु एवं सीमांत किसानों का शेयर वर्ष 2013-14 में 44% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 50% (अनंतिम) हो गया है।

*****

[illegible]01.07.2019 [illegible] 1495 [illegible]

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल कृषि ऋण संवितरण (रुपये करोड़ में)		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19(अनंतिम)**
1	इलाहाबाद बैंक	10,238.82	13,005.01	10,506.23
2	[illegible]	22,292.80	26,646.07	30,152.18
3	[illegible]	21,795.61	24,439.74	26,777.50
4	[illegible]	25,337.40	29,534.18	30,552.69
5	[illegible]	7,752.19	5,963.45	6,208.05
6	[illegible]. *	4.41	0.00	0.00
7	[illegible]	58,691.32	67,901.50	76,383.83
8	[illegible]	20,455.94	19,221.81	21,370.06
9	[illegible]	16,357.27	15,975.91	16,640.00
10	देना बैंक	6,795.07	6,971.35	4,537.80
11	[illegible]	11,935.80	17,511.41	18,332.92
12	[illegible]	20,789.89	29,763.76	35,917.86
13	[illegible]	29,518.84	30,968.12	31,604.61
14	[illegible]	17,151.88	10,007.57	9,014.29
15	[illegible]	10,593.78	12,019.10	8,536.01
16	[illegible]	61,263.76	74,968.22	98,232.82
17	[illegible] *	11,593.54	0.00	0.00
18	[illegible]*	23,463.14	0.00	0.00
19	[illegible]	125,270.11	167,195.76	156,384.57
20	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर *	7,760.70	0.00	0.00
21	[illegible]*	13,220.56	0.00	0.00
22	[illegible]*	6,930.29	0.00	0.00
23	[illegible]	18,213.16	20,475.06	21,779.44
24	[illegible]	5,740.11	5,115.70	4,644.29
25	[illegible]	22,956.30	22,040.80	16,662.62
26	[illegible]	7,146.82	7,873.37	4,866.20
27	[illegible]	10,653.95	14,328.49	11,822.47
	कुल	**593,923.48**	**621,926.36**	**640,926.43**

स्रोत:नाबार्ड

*वर्ष2017-18 से एसबीआई के साथ समामेलित ।